

105

पानि

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पुन) भ्रम तथा दर भेदा का नाम, निवास वहाँ का पता आदि २. वर्तमान धारिता पद ३. २०११-१२/२१/०९/२०२०

3. वर्तमान धरता

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विवरण संशुद्ध स्थिति का	संपत्ति का नाम तथा व्योम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योम	धारित से वार्षिक आय
	संपत्ति का नाम तथा व्योम	व्योम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
को. नं. १००	गुडगावली	-	५० मीटर	स्वयं	गो. उ. आ. आ. व. को. नं. १००/२०११/०९/२०२०	-

वहाँ जहाँ न हो वहाँ दीक्षित।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य या सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के साक्ष्य में साक्ष्य मूल्य कासना काय।

*** इसमें अत्यावधिक पट्टे की सम्पत्ति है।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय संरक्षक (अभ्यारण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के उत्तरक उत्तरक से यह उल्लिखित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक साल तारीख को अर्जित के परसपर यह नियमों के अधीन अर्जित की जायेगी और उक्त यह उल्लिखित की तथा उसका उदा अर्जित अथवा उसे विवरण में मिली या उसके अधीन नाम पर न होकर अधिकार के अधीन अर्जित के नाम पर पट्टे का दायक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अर्जित सम्पत्ति के तारीख है।

संकेतक-1712-अभ्यारण-24-1-85-10, 1002

हस्ताक्षर

नाम १२/१०/२०२०

वर्ष १२/१०/२०२०

दिनांक